



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092024-256858  
CG-DL-E-03092024-256858

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3409]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2024/भाद्र 11, 1946

No. 3409]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2024/BHADRA 11, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2024

का.आ. 3739(अ). — केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेलघाट बाघ आरक्षिती, महाराष्ट्र के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 4205(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2016 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4205(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2016 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 4205(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

**“5. निगरानी समिति.** – केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर एक निगरानी समिती का गठन करेगी, अर्थात्: -

- |       |  |                |
|-------|--|----------------|
| (i)   | कलेक्टर, अमरावती   | अध्यक्ष, पदेन; |
| (ii)  | कलेक्टर, अकोला का एक प्रतिनिधि   | सदस्य, पदेन;   |
| (iii) | कलेक्टर, बुलढाणा का एक प्रतिनिधि   | सदस्य, पदेन;   |
| (iv)  | पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे हर तीन साल में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है। | सदस्य;         |
| (v)   | क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड   | सदस्य, पदेन;   |
| (vi)  | क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक   | सदस्य, पदेन;   |
| (vii) | पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि  | सदस्य, पदेन;   |

(viii)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को हर तीन वर्ष में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(ix)	सदस्य-सचिव या सदस्य, महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(x)	उपवन संरक्षक, पश्चिम मेलघाट प्रभाग	सदस्य, पदेन;
(xi)	उपवन संरक्षक, अकोट वन्यजीव प्रभाग	सदस्य, पदेन;
(xii)	उपवन संरक्षक, अकोला प्रभाग	सदस्य, पदेन;
(xiii)	उपवन संरक्षक, बुलढाणा प्रभाग	सदस्य, पदेन;
(xiv)	फील्ड निदेशक, मेलघाट टाइगर रिजर्व के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(xv)	उपवन संरक्षक, पूर्वी मेलघाट प्रभाग	सदस्य सचिव, पदेन।

**5क. निगरानी समिति के कार्य.-** (1) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय क्लियरेंस के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(3) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-IV** में निर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।”

[फा.सं. 25/45/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा ,वैज्ञानिक “जी”

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 4205(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2024

**S.O. 3739(E).**— Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-sensitive Zone around Melghat Tiger Reserve, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4205(E), dated the 27<sup>th</sup> December, 2016;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of the notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O.4205(E), dated the 27<sup>th</sup> December, 2016;

Now, therefore, in exercise of the of the powers conferred by the sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) read with the sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986 the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II, section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4205(E), dated the 27<sup>th</sup> December, 2016, namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraph shall be respectively substituted, namely:-

“5. Monitoring Committee- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely:-

- |        |  |  |
|--------|--|--|
| (i)    | Collector, Amravati  | -Chairman, <i>ex officio</i>           |
| (ii)   | A representative of Collector, Akola   | - Member, <i>ex officio</i>            |
| (iii)  | A representative of Collector, Buldhana  | -Member, <i>ex officio</i>             |
| (iv)   | A representative of Non-governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years | -Member;                               |
| (v)    | Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board  | -Member, <i>ex officio</i>             |
| (vi)   | Senior Town Planner of the area  | -Member, <i>ex officio</i>             |
| (vii)  | A representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra   | -Member, <i>ex officio</i>             |
| (viii) | One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years.                                    | -Member;                               |
| (ix)   | Member-Secretary or Member, Maharashtra State Biodiversity Board   | -Member, <i>ex officio</i>             |
| (x)    | Deputy Conservator of Forests, West Melghat Division   | -Member, <i>ex officio</i> ;           |
| (xi)   | Deputy Conservator of Forests, Akot Wildlife Division  | -Member, <i>ex officio</i> ;           |
| (xii)  | Deputy Conservator of Forests, Akola Division  | -Member, <i>ex officio</i> ;           |
| (xiii) | Deputy Conservator of Forests, Buldhana Division   | -Member, <i>ex officio</i> ;           |
| (xiv)  | Representative of Field Director, Melghat Tiger Reserve  | -Member, <i>ex officio</i> ;           |
| (xv)   | Deputy Conservator of Forests, East Melghat Division   | -Member-Secretary, <i>ex officio</i> , |

**5A. Functions of Monitoring Committee.** – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate

Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in subparagraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
- (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure IV.
- (6) The Central Government may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”

[F. No. 25/45/2014-ESZ-RE]

(Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

**Note:-** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 4205(E), dated the 27<sup>th</sup> Dec, 2016.